न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पबरतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
हरिराम पुत्र हनुमानराम मेघवाल निवासी मालास गुसाईयां		1. जितेन्द्र बरवड पुत्र जेठमल बरवड़ मेघवाल निवासी मालास गुसाईयां 2. तहसीलदार , परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता वादी
श्री शैतानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 1

मुकदमां नम्बर :– 54/2019 निर्णय दिनांक :– 27/2/2020

निर्णय

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ इस प्रकार से हैं कि ग्राम मालास गुसाईया के खसरा नम्बर 783/356 रकबा 0.1165 हैक्टयर स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 356 रकबा 2.33 हैक्टयर भूमि है। प्रतिवादी 1 की खातेदारी हक की जमीन के खसरा नम्बर 784/356 रकबा 0.466 हैक्टयर हैं जिसके पुराने खसरा नम्बर 2.33 हैक्टयर हैं। प्रतिवादी 1 द्वारा रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 27.07.2016 के आधार पर 0.03251 हैक्टयर जमीन की खरीद वादी से की थी। उस समय वादी की जमीन खसरा नम्बर 356 रकबा 2.33 हैक्टयर में से 0.1600 हैक्टयर जमीन में से 0.03251 का बैचान हुआ था। नामान्तकरण संख्या 157 के जरिये दिनांक 05.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 हक में सही भरा गया। उसकी प्रकार नामान्तकरण संख्या 185 दिनांक 08.03.2018 के जरिये भी प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी इन्द्राज सही था। बाद में कम्प्यूटर ऑन– लाईन नामान्तकरण में वादी का हिस्सा कम हो गया तथा प्रतिवादी 1 का हिससा अधिक हो गया ताि दिनांक 09.01.2019 को नामान्तकरण संख्या 225 के जरिये खसरा नम्बर 356 की जमीन का बंटवारा होकर वादी का हिस्सा कम रहा गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बढ़ गया खसरा नमबर व रकबा अलग दर्शित हो गया इसलिये वादी को वाद लाना आवश्यक हो गया। वादी ने वाद पेश की ग्राम मालास गुसाईया के खसरा नम्बर 784/356 रकबा 0.0466 हैक्टयर मेंसे हिस्सा कम कर वादी की जमीन का खसरा नम्बर 783/356 रकबा 0.1165 से बढा कर 0.12749 हैंक्टयर घोषित किया

27/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

जावे तथा वादी के हक हिस्से में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. वादी वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.09.2019 को वादी व प्रतिवादी 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्तदीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी 2 को सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में की गई। वादी के अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश नहीं कर माफिक राजीनामा वाद का निर्णय किये जाने की इस्तदुआ की है।

3. वादी ने वाद के समर्थन में सम्वत 2072–2075 की जमाबन्दी मूल एवं बैचान दस्तावेज की छाया प्रति व नामान्तकरण संख्या 157 की प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 185 की प्रमाणित प्रति, पेश की है।

4. वादी के वाद पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

5. वादी द्वारा वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत बैचान दस्तावेज के अनुसार ग्राम मालास गुसाईया के खसरा नम्बर 144 रकबा 14–16 बीघा भूमि बैचानकर्ता श्रवणराम पुत्र जीवणराम का 1/3 हिस्सा हैं जिसमें से घरेलू आवश्यकता के चलते 1–00 बीघा भूमि का बैचान वादी हरीराम को किया गया है। जिसके बाद सेटलमेन्ट होने से उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 356 रकबा 2.33 हैक्टयर कायम हुए जिसमें जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के अनुसार उक्त भूमि की खातेदारी लालाराम पुत्र जीवणराम, सम्पतलाल हेमाराम पि. मिठूराम, धन्नीदेवी बेवा मिठूराम , हरिराम पुत्र हनुमान रकबा रकबा 0.16 हैक्टयर, श्रवणराम पुत्र जीवणराम 0.64 हैक्टयर की खातेदारी दर्ज दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 27.07.2016 के बैचान दस्तावेज के अनुसार वादी की जमीन खसरा नम्बर 356 रकबा 2.33 हैक्टयर में 0.16 हैक्टयर जमीन में से 0.03251 हैक्टयर भूमि का बैचान हुआ हैं नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 05.02.2018 प्रतिवादी 1 के हक में भरा गया हैं जिसमें प्रतिवादी 1 का हिस्सा 0.03251 हैक्टयर दर्ज किया गया हैं जो सही हैं। जिसके बाद खसरा नम्बर 356 का बंटवारा होकर खातेदारी दर्ज की गई हैं जिसमें वादी का हिस्सा कम अंकित कर दिया जबकि प्रतिवादी 1 का हिस्सा बढ़ा दिया, जो जमाबन्दी सम्वत 2076–79 से साबित होता है। सम्वत 2076–79 में खसरा नम्बर 783/356 का रकबा 0.1165 हैक्टयर तथा 784/356 का रकबा 0.0466 हैक्टयर कायम कर दिया गया हैं जबकि प्रतिवादी ने 0.03251 हैक्टयर भूमि कय की थी पूर्व में नामान्तकरण में भी 0.03251 हैक्टयर का ही दर्ज किया गया है। जिससे स्पष्ट होता हैं

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

कि बटवारे के आधार पर ऑन लाईन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी का हिस्सा कम कर प्रतिवादी 1 का हिस्सा अधिक अंकित्त कर दिया है। जिसको प्रतिवादी 1 ने राजीनामा पेश कर स्वीकार किया हैं। वादी ने एक बीघा भूमि खरीद की थी यानि 0. 16187426 हैक्टयर होती है जिसमें से 0.03251 हैक्टयर भूमि का बेचान प्रतिवादी को किया गया था। नामान्तकरण मे भी इतनी ही भूमि दर्ज हैं लेकिन जमाबन्दी में प्रतिवादी की खातेदारी मे 0.0466 हैक्टयर भूमि दर्ज की गई हैं जबकि 0.03251 हैक्टयर भूमि ही दर्ज होनी चाहिऐ थी एवं वादी के हिस्से में शेष रही भूमि 0.12936426 हैक्टयर दर्ज होनी थी। जबकि वादी के हिस्से में 0.1165 हैक्टयर भूमि दर्ज हैं। इस प्रकार साबित होता हैं कि जमाबन्दी में प्रतिवादी के हिस्से में भूमि अधिक दर्ज कर दी गई है। अधिक दर्ज हिस्सा पनुः वादी के नाम दर्ज करवाने हेतु अपनी सहमति दी है। जिससे रेकार्ड एवं प्रतिवादी 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर वादी का वाद साबित होता है। स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिकी किया जाता हैं कि ग्राम गालास गुसाईया के खसरा नम्बर 784/356 रकबा 0.0466 हैक्टयर में से कम कर खसरा नम्बर 784/356 का रकबा 0.03252 हैक्टयर कायम किया जावें एवं खसरा नम्बर 783/356 का रकबा 0.1165 हैक्टयर के स्थान पर 0.12936426 हैक्टयर वादी की खातेदारी में रकबा कायम किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिकी पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 27/5/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/5/2020
(मुकेश कुमार मूंडे)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)